बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

मंगलवार, तिथि १९ दिसम्बर, १९६१।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा की कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि १९ दिसम्बर, १९६१ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

विधान परिषद् से प्राप्त संदेश।

MESSAGE RECEIVED FROM THE LEGISLATIVE COUNCIL.

सचिव—महोदय, बिहार पंचायत समितिज ऐंड जिला परिषद्स बिल, १९६१ जो बिहार विधान-सभा द्वारा २९ नवम्बर, १९६१ को पारित हुआ था उसको बिहार विधान परिषद् ने संशोधन सहित १४ दिसम्बर १९६१ को पास किया।

अध्यक्ष—संशोधन की प्रतियां माननीय सदस्यों को बांट दी जायंगी और उसके बाद एक तिथि को संशोधन पर हमलोग विचार करेंगे। तिथि की सूचना सरकार की सूचना आने के बाद हमलोग देंगे।

विधान कार्य : सरकारी विधेयक :

LEGISLATIVE BUSINESS: OFFICIAL BILL :

बिहार मेन्टीनेन्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६१ (१९६१ की वि० सं० १४)।

The Bihar Maintenance of Public Order (Amendment) Bill, 1961 (L. A. Bill no. 14 of 1961).

*श्री जवार हुसेन—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

बिहार मेन्टीनेन्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर (अमेन्टमेन्ट) बिल, १९६१ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि :

बिहार मेन्टीनेन्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६१ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जवार हुसेन—मैं बिहार मेन्टीनेन्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६१ को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष—विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

श्री जवार हुसेन—मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

बिहार मेन्टीनेन्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६१ पर विचार हो।

इसके लिए कोई बहुत बड़े भाषण की जरूरत नहीं है। जो बिल मैंने पेश किया है उसका मकसद यही है कि जो अवधि बिहार मेन्टीनेन्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऐक्ट के निर्माण के लिए थी, वह ३ जनवरी, १९६२ को खत्म होने जा रही है। इसलिए इस बिल के जरिए इसकी अवधि दो वर्षों के लिए और बढ़ाना चाहते हैं और इसी मकसद से इस बिल को पेश किया गया है। जिन कारणों से इस कानून को बनाया गया था या समय-समय पर जिन कारणों से इस कानून की अवधि बढ़ायी गयी है, सरकार के विचार में वे कारण अभी भी मौजूद हैं और मैं समझता हूं कि जब सदन इससे सहमत है कि ये कारण खत्म नहीं हुए हैं तो सदन इससे भी सहमत होगा कि इस बिल की अवधि बढ़ाने की जरूरत दो वर्षों के लिए है। इसके जरिए जो अनसोशल एलिमेन्ट्स हैं या ऐसे लोग जो समय-समय पर शान्ति भंग किया करते हैं कम-से-कम उनको दबाने के लिए, भयभीत करने के लिए इसकी जरूरत है।

मुझे यह अर्ज कर देना है और आप यह देखेंगे कि जिस वक्त से यह कानून लागू हुआ है उस समय से बहुत ही कम तरीके से और बहुत ही कम मौके पर यह कानून इस्तेमाल हुआ है। इसलिये सरकार ने कभी भी इस कानून की आड़ लेकर ऐसा काम नहीं किया है जिसकी चर्चा अक्सर इस सदन में हुआ करती है।

*श्री रामानन्द तिवारी—गत वर्ष जो कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी तो उस समय यह कानून लागू किया गया था या नहीं ?

श्री जवार हुसेन—ऐसे-ऐसे मौके पर ही के लिये यह कानून रखा गया है। ऐसे लोग जो मुल्क आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं अगर यहां तोड़-फोड़ के जरिये या वाएलेन्स के जरिये इस देश को आगे बढ़ने से रोकें तो वैसी हालत में इस कानून का इस्तमाल करना जरूरी पड़ जाता है।

श्री रामानन्द तिवारी—उस हड़ताल के समय जो पटना में तोड़-फोड़ की घटना घटी थी तो क्या उस समय यह कानून लागू किया गया था ?

अध्यक्ष—यह बहस करने का सिलसिला ठीक नहीं है।

श्री जवार हुसेन—माननीय सदस्य श्री रामानन्द तिवारी ने कहा है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के कर्मचारियों की जो हड़ताल हुई थी तो उसमें यह ऐक्ट लागू किया गया था। उस समय यह कानून लागू नहीं हुआ था।

श्री रामानन्द तिवारी——हम और कर्पूरी जी सभी लोगों पर........

अध्यक्ष——शांति, इस समय इन्टरप्शन की गुंजाइश नहीं है।

श्री रामचरित्र सिंह——उनको अपने अमेन्डमेन्ट को मूव करने का अधिकार है वह मूव कर सकते हैं।

अध्यक्ष——हम यह कहां कहते हैं कि वह मूव नहीं कर सकते हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि अगर आपको अपोज करना है तो अमेन्डमेन्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि विचार के प्रस्ताव को मान लिया जाये।

श्री रामानन्द तिवारी——विचार के प्रस्ताव को हम कैसे मान सकते हैं। इसका हम विरोध करेंगे।

अध्यक्ष——तो क्या आप विचार के प्रस्ताव को भी नहीं मानेंगे और स्वीकृति के प्रस्ताव को भी नहीं मानगे।

श्री रामानन्द तिवारी——हम दोनों को नहीं मानेंगे।

अध्यक्ष——हम यह चाहते हैं कि आप अमेन्डमेन्ट मत दीजिये। विचार के प्रस्ताव का भी अपोज कीजिये और स्वीकृति के प्रस्ताव का भी विरोध कीजिये। ऐसा करने में हमारी ओर से कोई रुकावट नहीं है। जिन लोगों ने अमेन्डमेन्ट दिया है वे बोलें और कुछ और लोग भी बोल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ लोग विचार के प्रस्ताव पर बोलें और कुछ लोग स्वीकृति के प्रस्ताव पर, लेकिन मैं इस बिल को आज ही समाप्त करना चाहता हूं।

श्री रामानन्द तिवारी——हमलोग हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार हैं लेकिन सिर्फ तीन घंटे में इसको खतम करना, यह मेरे ख्याल से न हमलोगों के साथ और न विहार की जनता के साथ न्याय करना होगा।

अध्यक्ष——तो सर्वप्रथम मैं बोलनेवालों की एक सूची बना लेना चाहता हूं। वह इस प्रकार है:——

			मिनट।
श्री कामदेव प्रसाद सिंह	..	..	१५
श्री कपिलदेव सिंह	..	..	२५
श्री रामानन्द तिवारी	..	..	४०
श्री रामदेव सिंह	..	..	२०
श्री सभापति सिंह	..	..	१०
श्री रमाकान्त झा	..	..	१०

श्री मोती राम	..	..	१५
श्री मणिराम सिंह	..	..	१०
श्री व्रजेश्वर प्रसाद सिंह	..	..	१०
श्री रामेश्वर प्रसाद महथा	..	..	१०

श्री कामदेव प्रसाद सिंह अपना भाषण अब शुरू करें।

*श्री कामदेव प्रसाद सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार मेन्टोनेन्स ऑफ पब्लिक

आॅडर (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६१ जो अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री जवार हुसेन ने सदन के सामने पेश किया है उसका मुखालफत करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। इस बिल के **Statement of Objects and Reasons** में दिया गया है कि:

"The life of the Bihar Maintenance of Public Order Act, 1949 which came into force on the 4th January 1950, will expire on the 3rd January 1962. The communal climate in the State is still not free from dangers. Unsocial elements try to excite the people on every minor issue; and mob violence frequently recurs in the shape of a communal riot or an agrarian or industrial dispute, or some other kind of violence.........."

यह कारण जो दिया गया है उसमें सरकारी अफसरों की सतर्कता नहीं रहने की वजह से और उनकी लापरवाही के कारण भी इस तरह की घटना घटती है। यह बात सही है कि दो वर्षों के अन्दर कहीं-कहीं साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। इस बात की जरूरत है कि इस तरह के झगड़ों को कस कर दबाया जाय कि जिसमें बिहार के अन्दर कम्युनल झगड़े का विषाक्त प्रचार न होने पावे। कहीं-कहीं ऐसा भी होता है जिसमें हिन्दू-मुसलमान के झगड़े का रूप पीछे लेता है और पहले वह किसी छोटे-मोटे कारण को लेकर शुरू होता है। इसलिये उसका कारण कहां छिपा होता है उसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। एक बात और इसमें यह है कि १९५९ में जब यह ऐक्ट सदन में पेश किया गया था तो कहा गया था कि उसका लाइफ खत्म हो जायगा इसलिये उसको दो वर्षों के लिये और बढ़ाया जाय क्योंकि उसकी जरूरत है और उस वक्त भी यह दलील दिया जाता था कि दो वर्षों के बाद इसकी जरूरत नहीं रह जायगी। लेकिन दो वर्षों के बाद आज फिर वही दलील हमारे सामने है और सरकार चाहती है कि इसका लाईफ फिर से दो वर्षों के लिये एक्सटेन्ड किया जाय। इसलिये अच्छा यह होता कि सरकार एक ऐसा संशोधन लावें जिसमें इस तरह का प्रोविजन रहे कि जब तक इसकी जरूरत रहे तबतक यह कानून रहेगा या कोई स्पेसिफिक टाइम-लिमिट किये बिना इस ऐक्ट को पास करा ले।

सरकार को अपने पुराने वादे को याद रखना चाहिये जिसको लोग भूल जाते हैं। सरकार का वादा था कि यह चीज दो वर्षों के बाद आगे नहीं बढ़ाई जायगी पर फिर भी इसको लाइफ को दो वर्षों के लिये बढ़ाने के लिये यह बिल लाया गया है। हमारी वर्त्तमान सरकार जिसके मुख्य मंत्री श्री विनोदानन्द झा हैं कहा करते हैं कि इस राज्य में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं रहेगा पर इसकी जिन्दगी फिर दो वर्षों के लिये बढ़ाई जा रही है। [***]

[***] यह अंश सभा नियमावली के नियम ४६ के अनुसार कार्यवाही से हटा दिया गया है।

आज जो जातीयता का प्रचार हो रहा है वही अनशोसल है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार ही जातीयता की भावना से ओतप्रोत है।

अध्यक्ष—आप ऐसा कहें कि हमारे राज्य में जो जातीयता की भावना है उसे सरकार हटाने की कोशिश करे।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—आप देखते होंगे, अध्यक्ष महोदय कि सदन में तथा सरकार के सभी विभागों में जातीयता की भावना फैल गई है।

अध्यक्ष—सदन के सदस्यों पर इस तरह से आक्षेप करना अनपार्लियामेन्टरी है।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—हम उसे वापस लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार लॉ एन्ड आर्डर का गार्जन है मगर इसी सरकार के हर कोने-कोने में जातीयता का असर फैला हुआ है। इस काले कानून की जिन्दगी बढ़ाने से एन्टी-सोशल एलिमेन्ट दूर नहीं हो सकता है। जबतक नैतिक स्तर में सुधार नहीं लाया जायगा तबतक इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। दूसरी बात यह है कि जो छोटे-मोटे झगड़े होते हैं उनको संभालने के लिए आपके पास पुलिस है, फौज है जिन पर हम करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। उसके लिए आप इस कानून की जिन्दगी को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जो इन्डस्ट्रियल ओरगेनिजेशन हैं और उनमें जो काम करने वाले हैं उनको एन्टी-सोशल कह कर उन पर इस कनून को लगाना चाहते हैं। १९५० से इस कानून को लाया गया। उसके बाद १२ वर्ष बीत गये। जब १२ वर्षों में आप इस चीज को कन्ट्रोल नहीं कर सके तो जनता के प्रतिनिधित्व करने का आपको क्या हक है? जब १२ वर्षों में साम्प्रदायिकता की जहर को आप ऊखाड़ कर फेंक नहीं सके, एन्टी-सोशल एलिमेन्ट को कंट्रोल नहीं कर सके तो इस कानून की मीयाद को अभी भी बढ़ाने से क्या हो सकता है। किसी भी प्रदेश का तरक्की के लिए आज जरूरी है कि जातीयता का प्रचार नहीं हो, साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो इस सरकार को गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं इस कानून को फिर जिन्दगी देने के खिलाफ हूं और इसका सख्त विरोध करता हूं।

*श्री रामदेव सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार मेन्टीनेन्स ऑफ पब्लिक आर्डर अमेन्डमेन्ट बिल, १९६१ के विरोध में खड़ा हुआ हूं। हम जिस शासन व्यवस्था में रहे हैं, जिस रास्ते पर चलने के लिए फैसला लिया है वह प्रजातन्त्र है। प्रजातन्त्र में नागरिकों को मिलने-जुलने में, अपना विचार व्यक्त करने में और अपनी बातों को प्रदर्शन के जरिए समाज के सामने रखने के लिए तथा सत्ताधारी लोगों के सामने रखने में नैतिक हक है। इस प्रजातंत्र में नागरिकों का जन्मसिद्ध अधिकार है और इस अधिकार पर किसी भी जनता की सरकार को रूकावट डालने का अधिकार नहीं है। जब कोई सरकार इस अधिकार पर रुकावट डालने के लिए तरह-तरह का बहाना लगाकर नया-नया कानून सृजन करना चाहती है, जैसा कि अभी ट्रांसपोर्ट मंत्री जी ने कहा है इस बिल को पुरःस्थापित करने के समय, वह बिल्कुल गलत है। सरकार के घर में हजारों

हजार कानून हैं जिसको काम में लाने के लिए लाखों नहीं, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपये साल-ब-साल खर्च होते हैं। क्या उन कानूनों से प्रदेश में शान्ति और अमन चैन कायम नहीं रखा जा सकता है? १२ वर्ष पहले इसी सदन से इस काले कानून को पास कराया गया था। मैं मानता हूं कि उस वक्त स्थिति कुछ ऐसी थी क्योंकि राष्ट्र का बंटवारा होने के बाद जो शक्ति देश में काम कर रही थी साम्प्रदायिकता के आधार पर, उस शक्ति को रोकने के लिए हो सकता है कि इस कानून की जरूरत थी। उस वक्त इस चीज को समझा जा सकता था। उस समय भी दूसरे कानून को ठीक से पालन करने से शायद इसकी जरूरत नहीं होती मगर आपने हिन्दू और मुसलमान के साम्प्रदायिक दंगों का हवाला देकर इस कानून को पास करवा लिया था। मगर आज इस कानून की क्या जरूरत है? आप कुल बातों की चर्चा करके इस कानून को जिन्दगी दिलाते हैं और उसके बाद इस कानून को सिर्फ विरोधी दल के लोगों की जायज कारंवाइयों पर कंट्रोल करने के लिए इस हथियार को लेना चाहते हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि १२ वर्षों के अन्दर कितनी बार आपने ऐन्टी-सोशल एलिमेन्ट्स के खिलाफ इस कानून का प्रयोग किया और आपके अधिकारी कितनी बार ऐसे लोगों को इस कानून के शिकंजे में लाये। अगर आपने कभी इस कानून का प्रयोग किया तो उनके खिलाफ किया जो अपने मौलिक अधिकार के लिये आगे बढ़े। शान्ति के साथ वैधानिक ढंग से प्रजातंत्र में मिले हुये अधिकार के मुताबिक यानी सभा के जरिये, प्रदर्शन के जरिये अपनी मांगों को लेकर जो आपके नजदीक आये, शहरों में घूमे और अपनी उचित आवाज उठाई, ऐसे ही लोगों के खिलाफ आपने इस कानून को इस्तेमाल किया और आपके अधिकारियों ने उन्हें जेल में रखा।

श्री जब्बार हुसेन---आप इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं?

श्री रामदेव सिंह---एक नहीं, अनेकों। आप जिस शहर में रहते हैं मैं वहीं की बात कहूं, अध्यक्ष महोदय कि सीवान शहर में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने देखा कि एक सूझ-बूझ रखने वाले नेता, बड़हरिया के हमारी पार्टी के सेक्रेटरी श्री जाफरी को इसी कानून के जरिये जेल में रख दिया गया। अभी हाल की बात है कि झंडा के वक्त सीवान शहर में जिन लोगों ने शांति फैलाने की कोशिश की, अमन अमान कायम रखने की कोशिश की और हिन्दू मुसलमान के बीच मेल मुहब्बत कायम रखने का जिन्होंने सुझाव दिया उन्हें जेल में रखा गया। ये सारी बातें माननीय मंत्री की आंखों के सामने हुई फिर आप हमसे इसका उदाहरण मांगते हैं। हमारे डिप्टी मिनिस्टर श्री देवनारायण यादव सोलोनपुर जाते हैं, वहां झंडा निकलने की बात थी, मैं भी उनके साथ था और सारी रात हमलोग जागते रहे और इन्हीं ऐन्टी-सोशल एलिमेंन्ट्स के चलते जिनकी चर्चा की गई है हमलोग सफल नहीं हो सके मगर आपके अधिकारियों ने इन्हें जेल में बन्द नहीं किया। कानून तो आपके पास था लेकिन जिनके चलते सीवान में खतरा पैदा हो गया था उन्हें आपने नहीं बन्द किया और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को पकड़ा जो हिन्दू मुसलमान को मिलाते थे, सभा में बैठकर शान्ति का पैगाम देकर उनमें मेल मुहब्बत पैदा करते थे। आपने मुझसे मिसाल मांगी है इसलिये मैं ये बातें आपके सामने रखता हूं। यही नहीं, आपको मालूम है कि सीवान में प्रोसेशन निकला तो थानेवालों ने इसी ऐक्ट का सहारा लेकर लोगों को जेल में बन्द किया, रघुनाथपुर में दर्जनों लोगों पर इसी कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया कि उन्होंने ने जुलूस निकाला था।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि आपके इस राज्य में एन्टी-सोशल एलिमेन्ट्स की हरकतें बहुत बढ़ गई हैं और मुझे यह कहने में जरा हिचकिचाहट नहीं होती कि इस राज्य के लोगों की जिन्दगी आज बड़े खतरे में है जो आज से पहले ऐसी नहीं थी। मैं बोर्डर के इलाके से आता हूं जो विहार और उत्तरप्रदेश का बोर्डर पड़ता है। वहां का हाल यह है कि यू० पी० के लोग आकर यहां के किसानों का बैल खोलकर ले जाते हैं। बेचारे किसान जो धोबी, दुसाध और चमार हैं और जिनके मुंह में जबान नहीं है वे देखते रह जाते हैं। सिसवन, द्रौली और मांझी के इलाके में आये दिन ऐसा हो रहा है।

बैलों की कीमत सौ दो सौ पनहा के रूप में लोग देते हैं तब वे बैलों को छोड़ते हैं। बड़े पैमाने पर यह बीमारी चल रही है। मैं सरकार से पूछूं कि इस बिल को कितनी बार आपने ऐसे एन्टी सोशल एलिमेन्ट को दबाने के लिए उपयोग में लाया? आपने इसे उपयोग में नहीं लाया। सीवान के लोगों की जिन्दगी खतरे में है। रसीद बाबू की सारी संपत्ति लोग सेंध मार कर ले गए। मजहरूल हक साहेब की औरत की सब गहनें जो रसीद साहेब के यहां रखे थे लोग ले गए। सुरेन्द्र सिंह, कम्पाउन्डर की संपत्ति लोग उठा कर ले गए। उनकी औरत के, उनकी भौजाई के, उनकी मां के सारे गहने लोग उठा कर ले गए। जिसको इस कानून का पालन करना है वह मशीनरी बिल्कुल निकम्मी है। उनलोगों ने एन्टी-सोशल एलिमेन्ट के साथ सांठ-गांठ कर रखा है और वे पैसे पैदा कर रहे हैं। उनको इस बिल के लिए और जनता के लिए कोई चिन्ता नहीं है। आप इस कानून को लेकर के क्या शहर में घूमेंगे? आपके जज श्री पी० के० चौधरी....

श्री बीरचन्द पटेल—उन्होंने 'आपके जज' कहा है यह आपत्तिजनक है चूंकि जज हमारा या किसी का नहीं होता है, वह सब का होता है।

श्री रामदेव सिंह—अच्छा, मैंने इसे मान लिया कि वे सबों के हैं। श्री पी० के० चौधरी, छपरा के जज ने जजमेंट दिया था, उसमें पुलिस के बारे में स्ट्रीक्चर पास किया था जो 'सर्चलाइट' में निकला भी और यहां भी श्री रामानन्द तिवारी ने और श्री रामजनम ओझा ने उसकी ओर असेम्बली का ध्यान आकर्षित किया। उसमें लिखा था कि रघुनाथपुर की पुलिस को डकैतों के साथ सांठ-गांठ है। रामजी अहीर जो सात वर्षों के लिए जेल में बन्द था, बीच में वह भागा हुआ था वह आज बक्सर जेल में बन्द है। इस तरह एन्टी-सोशल एलिमेन्ट आपकी पुलिस की गोद में, आपकी गोद में रहेगा तो उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? आप कहते हैं कि किसी पार्टी पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए लेकिन इस बात से सहमत होंगे कि मैंने एक छोटी-सी पुस्तिका लिखी है उसमें विधान सभा........

अध्यक्ष—आप अपनी पुस्तिका के बारे में नहीं बोल सकते हैं।

श्री रामदेव सिंह—अच्छा, मैं इसे छोड़ देता हूं। जब हम और आप वोट लेना चाहते हैं तो इसके जरिए कहीं हिन्दुओं की भावनाओं को उभारते हैं, कहीं मुसलमानों की भावनाओं को उभारते हैं, कहीं राजपूत की भावनाओं को उभारते हैं, कहीं भूमिहार की भावनाओं को उभारते हैं इस तरह आप इसके लिए स्वयं जिम्मेवार हैं। जिसको हटाने के लिए यह बिल ला रहे हैं वह गांव में रहेगा तो हरकत करेगा ही। अगर उसे

रामदेव सिंह नहीं मदद करें, श्री जबार हुसेन नहीं मदद करें, श्री विनोदानन्द झा नहीं मदद करें, श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह नहीं मदद करें, तो इस तरह की हरकत आपसे आप बन्द हो जायगी लेकिन अपलोग उन्हें बचाते हैं। एक डकैत जिसे गोली से मार दिया गया सिवान से वह एक गिरोह लेकर पटने में आया था जब लीडरशिप का चुनाव चल रहा था। क्या श्री जबार हुसेन इसे नहीं जानते हैं? यह बिल न केवल सरकार के लिए कलंक है बल्कि पूरे प्रान्त के लिए कलंक है। सरकार को हिम्मत के साथ इस चुनाव के मौके पर खड़े होकर के कहना चाहिए कि अब इसकी जरूरत नहीं है लेकिन यहां की जनता अचेतन अवस्था में है नहीं तो वह कहती कि १३ वर्षों में एन्टी-सोशल एलिमेन्ट को कंट्रोल नहीं कर सके तो अब आपको रहने की क्या जरूरत है? आप अचेतन अवस्था में पड़ी जनता से जो नाजायज फायदा उठाना हो उठा लें। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बिल को वापस ले लें।

यह बिल प्रजातंत्र पर धब्बा है, इसको आप फाड़कर फेंक दें। इस बिल के जरिये आप विरोधी दलों को कुचलना चाहते हैं, किसानों को कुचलना चाहते हैं। आप पूंजीपतियों के साथ मिलकर गरीबों को सताना चाहते हैं। इसलिये मैं इस बिल का जबर्दस्त विरोध करता हूं। आप इस बिल से प्रजातंत्र को नहीं चला सकते हैं, प्रजातंत्र के मार्ग पर बढ़ने से आप कुंठित कर देंगे। मैं फिर सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार इस बिल को वापस ले ले, यही हमारी मांग है।

(अन्तराल।)

*श्री कपिलदेव सिंह—अध्यक्ष महोदय, विहार मेन्टीनेन्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर बिल, १९६१, जिसपर अभी विवाद हो रहा है वह प्रथम बार असेम्बली में १९४९ में लाया गया था। इंडिया ऐक्ट, १९३५ के सेक्शन ८८ के आधार पर उस समय के गवर्नर ने इसे आर्डिनेंस के रूप में बिहार में लागू किया था। उसकी बहुत मुखालफत की गई थी। फिर १ दिसम्बर, १९४९ को यह बिल सदन में लाया गया था। इसकी अवधि ३ जनवरी, १९६२ को समाप्त हो रही है, इसलिए इसकी अवधि को और २ वर्षों तक बढ़ाने के लिये इसे सदन में लाया गया है। मैंने जानने की कोशिश की कि किस परिस्थिति में यह बिल लाया गया था। उस समय जो वादविवाद सदन में हुए उसको देखने से मालूम होता है कि उस समय के मुख्य मंत्री स्वर्गीय डा० श्रीकृष्ण सिंह ने कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी हिंसात्मक ढंग से भारत में अराजकता फैलाकर हुकूमत बदलना चाहती है और बिहार में साम्प्रदायिक भावना बहुत है। उस समय स्वर्गीय अमीन अहमद ने इसकी जोरदार मुखालफत की थी।

मैं श्री जबार हुसेन साहब से पूछना चाहता हूं कि आज बिहार में दोनों में कौन परिस्थिति है। अमृतसर कांग्रेस के फैसले के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की नीति हिंसात्मक नहीं रही। वह चुनाव के जरिये आना चाहती है। हिन्दू मुस्लिम की भावना के बारे में हम कतई नहीं कह सकते हैं कि हमारे प्रांत का वातावरण खतरे में है जिससे सरकार को इस तरह का अधिकार देना जरूरी है, नहीं तो यहां दंगा हो जायगा तो सरकार शांति रखने में असफल हो जायगी।

दो साल पहले श्री मकबूल साहब ने इसे लाया था। उस समय हमने कहा था कि जिसके लिये यह बिल लाया जा रहा है वही इसको पायलट कर रहा है। लेकिन जबार साहब के लिये यह बात नहीं है। हो सकता है कि इनको इनके कलिग्स की

मौजूदगी पसन्द नहीं है। हो सकता है कि ये कहीं श्री मकबूल साहब के रास्ते पर न चले जायें इसीलिये इनको यह बिल पायलट करने को दे दिया गया है।

आज जाति का दंगा होता है। माधोपुर गांव में दो जातियों के बीच दंगा हुआ। ८, १० गांव के लोग हाथी पर सवार होकर लाठी, भाला आदि लेकर एक जाति के लोगों ने दूसरी जाति के लोगों के घरों को लूटा। मैं इसके डिटेल में जाकर प्रांत के वातावरण को गंदा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन यह कहता हूं कि क्या इस कानून का उपयोग वहां हुआ? कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया?

अध्यक्ष—वह क्या आपके क्षेत्र में है?

श्री कपिलदेव सिंह—जी, नहीं। पटने में है। लेकिन वहां कानून का इस्तेमाल नहीं हुआ।

श्री शकूर अहमद—तो आपका क्या यह कहना है कि वहां भी इसका इस्तेमाल होना चाहिये?

श्री कपिलदेव सिंह—उनको इस्तेमाल करना चाहिये यह हम नहीं कहेंगे, इस्तेमाल तो वह वहां करेंगे जहां इनके विरोधी दल के लोग कोई काम करेंगे, सभा करेंगे या कोई जुलूस निकालेंगे। पिछले साल दरभंगा जिला में इसको इस्तेमाल किया, मुजफ्फरपुर में ३ जगह, पटना में १५, सहरसा में ३, आरा में ३ और गया में ५। यह जानकारी हमने अपने पार्टी के प्रोभिंशियल दफ्तर से प्राप्त किया है कि इतने केसेज चलाये गये।

श्री जंबार हुसेन—देखिये, इस तरह के दो कानून हैं, यहां का है पब्लिक मेन्टीनेन्स ऑफ ऑर्डर एक्ट और सेन्टर का है प्रिवेन्टिव डिटेंशन एक्ट। तो यह जानकारी आपको किस एक्ट की है?

श्री कपिलदेव सिंह—हम बी० एम० पी० ओ० एक्ट के बारे में कह रहे हैं। आज जो डिमोक्रेसी की चर्चा करते हैं कि हमारे देश में डिमोक्रेसी है हम भी मानते हैं लेकिन डिमोक्रेसी को इस तरह के कानून की क्या जरूरत है? हमारे संविधान के दसवें पेज पर आर्टिकिल १९ में ऐसा दिया हुआ है कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बिना हथियार के हम एसेम्बुल कर सकते हैं और एसोसिएशन फौर्म कर सकते हैं। सवाल यह है कि जब संविधान ने ऐसा अख्तियार हमको दे दिया है तो हमारी आजादी पर इस तरह की पाबंदी आप अपने कानून से क्यों लगाते हैं? यह बात सही है कि समाज पर खतरा आने का भय हो, जहां कोई भारी सामाजिक विपत्ति आनेवाली हो वहां व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाया जा सकता है। शुरू में जब १९४९ में आपने यह कानून लाया तो आज इतने दिनों के बाद क्या जरूरत है कि नागरिक स्वतंत्रता पर आप आघात करें? हेराल्ड लास्की जो एक बड़े राजनीतिज्ञ दार्शनिक हैं उनका कहना है कि सिटिजन की राइट को हम कहां तक कायम रख सकते हैं।

*श्री जवार हुसेन साहब एक अच्छे वकील हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगा कि आज इस राज्य में कौन-सी परिस्थिति आ गयी है जिसके लिये इस कानून को रखना जरूरी है? जहां परिस्थिति खराब है, जहां गलत ढंग से काम होता है वहां जो आपके पास कानून है सी० आर० पी० सी० उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? सवाल यह है कि इस देश में बदकिस्मती से जो लोग आज सतारूढ़ हैं उनको एक जबर्दस्त अपोजीशन की जरूरत है जो आज नहीं है और यही कारण है यह सारी बातें होती रहती हैं। श्री एम० सी० चागला ने एक युनिवर्सिटी में भाषण देते हुए कहा था:

"There is no more dangerous dictatorship than the dictatorship which wears the garb of dimocratic institutions."

हमारे प्रांत में जो डिमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप करने की बात चल रही है। एक दल के लोग जो गद्दी पर बैठे हुए हैं वह नहीं चाहते हैं कि विरोधी दल आगे बढ़े और यही कारण है कि वह डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। डिक्टेटरशिप से वह डिमोक्रैसी ज्यादा खराब है जो डिमोक्रेसी का लिबास पहनकर अपनी शक्ति को भयंकर रूप देकर तानाशाही की मनोवृत्ति फैला रही है। यह बिल उसका जबर्दस्त प्रमाण है और यह बिल उसी प्रयास को अग्रसर कर रहा है। इंगलैंड के एक बहुत बड़े लेखक लार्ड अलन ने लिखा है कि जनतंत्र में व्यक्ति का क्या स्थान हो सकता है इसकी चर्चा हमारे संविधान की व्याख्या करते हुए और लोगों ने की है। हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने भी इस बिल को पायलाट करते हुए इसकी चर्चा की थी। लेकिन सारी चर्चाओं के बाद यह बात समझ में नहीं आती कि इस कानून की अवधि जब समाप्त होने लगती है तो यह सदन में आ जाते हैं और कहते हैं कि कुछ समय और दीजिये कि हम इसको चलावें। संविधान की १९वीं धारा में जो अधिकार नागरिक को दिया गया है उसी के ऊपर यह पाबंदी लगाना चाहते हैं। यही प्रमाण है कि यह ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे देश में डिमोक्रेसी का खात्मा हो जाय। आज एशिया के मुल्कों में क्या हो रहा है? जकार्ता से लेकर बर्मा तक जो छोटे-छोटे देश हैं और इंडोनेशिया जैसे जो बड़े देश हैं वहां भी कहीं तानाशाही है, कहीं कन्ट्रोल्ड डिमोक्रेसी है तो कहीं गाइडेड डिमोक्रेसी है। लेकिन सभी जगह जनतंत्र को खत्म करके एक तानाशाही हुकूमत कायम कर रही है। आज हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है जहां डिमोक्रेसी अगर नहीं सफल हुई तो दुनिया से डिमोक्रेसी का नामोनिशान मिट जायगा। अगर हिन्दुस्तान से डिमोक्रैसी चली गयी तो इंगलैंड जो डिमोक्रेसी का बड़ा देश है वह भी इसको नहीं रख सकेगा। एक लेखक ने लिखा है:

"Democracy is not a form of Government; democracy is a way of life."

यानी डिमोक्रेसी केवल सरकार की पद्धति ही नहीं वरन् जनता के रहन-सहन का ढंग भी है। हम देखें कि जो लोग आज सत्तारूढ़ हैं वे व्यक्ति जो काम करते हैं क्या ये काम ऐसे हैं जिससे डिमोक्रेसी की रक्षा हो? तो हमारे जैसे निष्पक्ष लोग यही समझेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है। डिमोक्रेटिक हमारा कंस्टिट्यूशन है लेकिन आचार-विचार जो इनलोगों का हो रहा है वह मोस्ट अनडिमोक्रेटिक है और जनतंत्र का लिबास पहनकर ये लोग डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि इस डिमोक्रेटिक पद्धति की रक्षा और सफलता कैसे हो? विरोधी पक्ष की शक्ति के मजबूत होते ही ट्रेजरी बेंच की शक्ति बढ़ेगी। यही डिमोक्रेटिक का तकाजा है। जनता को आर्गेनाइज करने का हक विरोधी दल को भी उसी प्रकार होना चाहिये जिस प्रकार सत्ताधारी दल को है। लेकिन इस कानून के द्वारा वह विरोधी

दल के लोगों को रोकते हैं, काम नहीं करने देते है। इसलिये वह ऐसा काम करना चाहते है कि जनतंत्र नहीं पनपे। किसी तरह इनकी पार्टी बरकरार रहे और यह हुकूमत की गद्दी पर बने रहें चाहे देश जहन्नुम में जाय, डिमोक्रेसी जहन्नुम में जाय। यह धारणा इनके सामने है। इनका कहना है कि इस कानून के द्वारा वह साम्प्रदायिकता को रोकना चाहते हैं। आप जब यह कहते हैं तो हम आपके साथ हैं, हमारी पार्टी आपके साथ है कि जहां सम्प्रदायिकता की बात हो आपको यह अख्तियार दिया जाय।

तो इस समय विशेष अधिकार देना है, जब हम ऐसी बात मानते हैं तो अब ऐसी स्थिति हमारे प्रांत की नहीं है; उस स्थिति से हमलोग कुछ ऊपर उठ चुके हैं। तो फिर आप इसकी अवधि २ वर्षों के लिये क्यों बढ़ाना चाहते हैं, खुशी इस बात की तब होती जब आप एसेम्बली में यह सूचना देते कि इस कानून की अवधि तीन तारीख को खतम हो रही है, अब इसकी अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है और अब इसको नहीं लायेंगे। लेकिन इसको खतम करने की जगह पर इसे जिन्दा करने के लिये २ वर्षों की अवधि और बढ़ाने जा रहे हैं। आपको एन्टी-सोशल एलिमेंट को दबाने के लिये इस तरह के कानून की जरूरत पड़ रही है लेकिन एन्टी-सोशल एलिमेंट तो इस जेबी से उस जेबी में शरण पाये हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, बढ़िया स्टेशन पर एक मेलेटरी जो अपने घर जा रहा था उसका सामान बदमाशों ने छीन लिया। बदमाश रेल के डिब्बे के दरबाजे पर लटक गया और उसने उस मेलेटरी मैन को कहा कि दरबाजा खोल दो नहीं तो हम गिर जायेंगे, उस बेचारे ने दरवाजा खोल दिया और वह बदमाश अन्दर घुस कर उस मेलेटरी मैन को गर्दन में ७ छुरे लगाये और बदमाश उनका सब सामान लूटकर चम्पत हो गये। उसे मोकामा में उतारा गया, दूसरे रोज वह अस्पताल में मर गया। लेकिन बदमाश नहीं पकड़ा गया, आपकी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और चोर को पकड़ नहीं सकी। आप जानते हैं कि वे लोग हिस्सा लेते हैं। और हमारे इलाके में.....

अध्यक्ष—शांति, आप अपने को खतरे में डाल कर बोल रहे हैं।

श्री कपिलदेव सिंह—जी हां हुजूर, आपने अखबार में पढ़ा होगा कि हमारे घर पर चोरी हुई, पिछले एतवार को हमारी बहन की रोकशदी थी, चोरों ने सामान सब को लेकर भाग गया लेकिन पुलिस आजतक चोर को पकड़ नहीं सकी। बाप ने कहा कि हमारे बेटे ने चोरी की है, हमने पुलिस में जाकर यह कह दिया है लेकिन हुजूर, पुलिस को इतना बताने पर भी उसको चोर नहीं मिलता है। परसों वहां के एस०पी० ने मुझसे कहा कि पुलिस को चोर नहीं मिलता है। आपकी पुलिस तो हिस्सा लेती है, बीड़ी पीती है, जुआ खेलाती है, उनका पता आप नहीं लेते हैं लेकिन अगर हमारे ऐसे लोग एलेक्शन लड़ते हैं तो आपको यह डर रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि हम हार जायें, तो वहां आप इस कानून को बहुत जल्द लागू कर देते हैं और आपकी पुलिस भी बहुत अच्छी तरह से काम लेती है ताकि कोई ऐसी बात पैदा हो जाये तो इनका एलेक्शन ही रोक दें। लेकिन चोर को पकड़ने के लिये आपकी पुलिस न मालूम कहां रहती है। हमारे इलाके में बिना लाइसेंस के १० रिवाल्वर हैं, जिन्हें कार्टरीज भी मिलता है और वे चोरी-डकैती में काम भी आता है, इसको देखनेवाला कोई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह मैटर तो सबजुडिस है, हमें नहीं बोलना चाहिये लेकिन मैं बोलने के लिये मजबूर हूं। बड़हिया टाल में एक घंटा तक गोली चलती रही वह भी धूंआंधार।

अध्यक्ष—किस ओर से गोली चलती रही, क्या सरकार की ओर से ?

श्री कपिलदेव सिंह—जी नहीं। दो दलों में लड़ाई होती रही और बिना लाईसेंस की बन्दूक से गोली चलाई गयी।

अध्यक्ष—तो क्या वहां यह कानून लागू नहीं हुआ ?

श्री कपिलदेव सिंह—यह कानून तो हुजूर हमारे लिये है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि इनसे कुछ नहीं होगा। हम कुछ कहेंगे तो यह कहेंगे कि यह पार्टी की बात है। हुजूर, आपकी जानकारी के लिये यह कह देना चाहता हूं कि सत्तारूढ़ दल की एक मीटिंग होनेवाली थी और उसमें जितने ऐन्टी-सोशल एलिमेंट के लोग थे वे सभी आये और मैं जानता हूं कि उनका सरोकार आपके दल के साथ है और उल्टे आप इस तरह के बिल लाते हैं। आप ऐन्टी-सोशल एलिमेंट के लोगों को बढ़ावा देते हैं और आपमें रोकने की शक्ति नहीं है। जब स्वागतकारिणी समिति की बैठक हुई थी तो आप जानते हैं कि इसमें किस तरह के लोग आये थे। आप चाहते हैं कि राजनीतिक वातावरण गन्दा हो। आप कहते हैं कि साम्प्रदायिक भावनाओं को रोकने के लिये यह बिल लाते हैं। सब कोई जानता है कि आज इस प्रदेश में क्या हो रहा है। हमारे ऐसा आदमी जातीयता की बात नहीं कर सकता है। आज वही जातीयता की बात कर सकता है जिस पर महेश बाबू की छाप हो, सत्येन्द्र बाबू की छाप हो और जिसपर पंडितजी की छाप हो। आप क्यों नहीं साफ-साफ कहते हैं कि इस बिल को विरोधी दल को रोकने के लिये लाये हैं और इसकी अवधि को दो साल के लिये इसलिये बढ़ाना चाहते हैं जिसमें विरोधी दल आगे नहीं बढ़ सकें और उसके सभा जुलूस को हम नहीं होने देंगे। कम-से-कम गलती ढंग से इन बातों का प्रचार न करें। जो मन में हो उसको साफ-साफ कह दें। आप मन में कुछ रखते हैं और काम दूसरे ही करते हैं। आप ऐन्टी-सोशल एलिमेंट को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और उनके प्रति कुछ नहीं करना चाहते हैं। उनको आप नहीं रोकना चाहते हैं। उल्टे आप हमलोगों को ऐन्टी-सोशल एलिमेंट कहते हैं। हमलोग ऐन्टी-सोशल एलिमेंट नहीं हैं। हुजूर, जनतंत्र की दोहाई देकर इस तरह की बिल लाने की कोई आज परिस्थिति नहीं है। शुरू में जब यह बिल १९४९ में आया तब चीफ मिनिस्टर साहेब ने कहा कि कम्युनिस्ट के हिंसात्मक कामों को रोकने के लिये और साम्प्रदायिक भावनाओं को रोकने के लिये मैं इस तरह का बिल लाया हूं। उन्होंने खुद कहा कि इसके लिये उनको तकलीफ है और हम प्रान्त के लोगों से कहना चाहता हूं कि जैसे ही परिस्थिति बदलेगी मैं उसी क्षण इस बिल को रिपील कर दूंगा। आज १४ वर्ष हो गये और आज इसकी अवधि खत्म हो रही है और इसको दो वर्षों के लिये फिर बढ़ाने जा रहे हैं।

१२-१३ वर्षों की हुकूमत में आपने स्थिति सम्हालने की क्या कोशिश की ? उसको रोकने का क्या प्रयास किया, क्या वैसा वातावरण बनाये ? ऐसा कुछ भी नहीं करके सरकार ने उल्टे लोगों में अपने प्रति अविश्वास पैदा कराया, सरकार के प्रति लोगों को सन्देह पैदा करने का मौका दिया। आप अपने काम से, अपने रहन-सहन के ढंग से साफ कर दिया है कि आप असाधारण स्थिति के नाम पर अपनी गद्दी बरकरार

रखना चाहते हैं। इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस बिल का अभी इस राज्य में कोई जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री को बिल को पेश करते हुए क्या असाधारण स्थिति है उसको साफ बताना चाहिये कि कहां-कहां सम्प्रदाय की बात है, कहां जाति की बात है। यह जातीयता तबतक नहीं मिट सकती है जबतक कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रहेगी। सरकार जातीयता का जामा पहनकर अपने को सुरक्षित समझती है। इस बिल को पेश करते हुए जो बातें कही गयी हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि इस बिल की जरूरत नहीं है। ३ जनवरी, १९६२ को इसकी अवधि समाप्त हो रही है और इसकी अवधि समाप्त होने देते तो लोगों में खुशी होती मगर वैसा नहीं होने देकर आप १९ दिसम्बर को यह कहने चले आये कि इसकी अवधि और दो वर्षों के लिये बढ़ा दी जाय। इसके बदले में यदि आप आज ही से इसकी अवधि समाप्त कर देते तो राज्य में जनता के बीच खुशी होती। यह बिल देश और राज्य के हित के खिलाफ है, राइट ऑफ सिटिजनशिप के खिलाफ है, संविधान की १९वीं धारा में जो हमलोगों को अख्तियार दिया गया है उसके ऊपर भी यह बड़ी जबरदस्त पाबन्दी है, इसलिये मैं इसका हर तरह से विरोध करता हूं। मैं इस बिल को जनतंत्र के विरुद्ध मानता हूं और यह मानते हुए आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार इसे प्रेस न करे, जबरदस्ती पास नहीं कराये। इसके पास होने से सरकार को ऐसी शक्ति मिल जायेगी जिससे लोगों की आजादी पर कुठाराघात होगा, इसका दुरुपयोग होगा। "पावर करप्ट्स एंड ऐब्सोल्यूट पावर करप्ट्स ऐबसोल्यूटली"—सरकार द्वारा इसे चरितार्थ किया जायेगा। ज्य.द. पावर सरकार को मिल जायेगा तो सरकार और अधिक मदान्ध हो जायेगी और आपको नहीं सूझेगा कि हम सत्यानाश की तरफ जा रहे हैं। इतनी बड़ी शक्ति को लेकर उसका दुरुपयोग करने के लिये आगे कदम नहीं बढ़ायें। सरकार इस बिल को वापस ले ले। आज प्रांत का वातावरण ऐसा नहीं है जिसमें यह बिल पास किया जाय। आज वातावरण शांत है और उसको और शांत बनाने की आप कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण खतम करता हूं और माननीय मंत्रीजी जो इस बिल को पाइलाट कर रहे हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इसपर ठंढे दिल से सोचें और सरकार को सद्बुद्धि दिलाने की कोशिश करें और प्रबल बहुमत के बल पर इसे पास करने की कोशिश न करें।

अध्यक्ष—श्री शकूर अहमद ने एक संशोधन की सूचना दी है जिसे मैं मंजूर करता हूं। मैं चाहता हूं कि जितने वाद-विवाद हो चुके हैं उनपर माननीय मंत्री जवाब दे दें और उसके बाद विचार के प्रस्ताव को सभा में रखकर सभा की राय ले लें और तब संशोधन की कार्रवाई करूं और तब स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य बोलेंगे।

श्री रामाकान्त झा—हम इसी स्टेज पर बोलना चाहते हैं।

श्री रामचरित्र सिंह—सरकार के पहले जवाब के बाद भी तो डिसकशन होगा।

अध्यक्ष—पहले विचार का प्रस्ताव मंजूर हो जाय तभी तो मैं संशोधन ले सकता हूं। इसलिये मैं चाहता हूं कि विचार का प्रस्ताव पहले पास हो जाय। चूंकि माननीय सदस्यों को उत्सुकता है इसलिये संशोधन को मैं पढ़ देता हूं :

"That in clause 2 of the Bill, for the word "fourteen" the word "thirteen" be substituted."

यह जान लेने से आपलोगों को बोलने में एक तरह की सुविधा हो गयी कि इसपर भी आपलोग अपना विचार रखें।

श्री रामचरित्र सिंह—जबतक अमेंडमेंट मूव नहीं हुआ है तबतक उसपर बोलने का हक नहीं है लेकिन जब आप कहते हैं तो लोग उसपर बोल सकते हैं।

अध्यक्ष—एक वर्ष या दो वर्ष यही सवाल है न? माननीय सदस्य इसपर अपना विचार दे सकते हैं।

*श्री रमाकान्त झा—अध्यक्ष महोदय, जो बिल अभी सदन के सामने पेश है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और विरोध इसलिये कर रहा हूं कि शुरू से आजतक स्टेट और इंडिविजुअल के बीच कंफ्लिक्ट रहता आया है और सच कहा जाय तो स्टेट और इंडिविजुअल के बीच जो झगड़ा है उसीसे पौलिटिक्ल साइंस का इजजाद हुआ और इसी मूलमंत्र से राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति हुई और उसका विकास हुआ और सबसे आइडियल सोसाइटी वही है जिसके अन्दर स्टेट और इंडिविजुअल के बीच एक सामंजस्य हो। स्टेट के पावर और इंडिविजुअल के लिबर्टी में सामजस्य हो। लेकिन स्टेट का पावर इतना बढ़ जाय कि इंडिविजुअल की लिबर्टी का निशान मिट जाय तो डिमोक्रेसी का अन्त हो जायगा और इसी को डिक्टेटरशिप कहेंगे और साथ-साथ इंडिविजुअल की लिबर्टी इतनी अधिक हो जाय कि स्टेट उसको कंट्रोल नहीं कर सके तो वही एनार्की का स्टेज है। हिटलर और मुसोलिनी ने डिक्टेटरशिप के सिद्धांत को अपनाया और गांधीजी ने डिमोक्रेसी के आइडियल को बताया। साथ-साथ हेराल्ड लास्की ने यह भी कहा है कि कंस्टिच्युशन में इस बात का भी रहना आवश्यक है कि जहां स्टेट का पावर इतना बढ़ जाय कि इंडिभिजुअल लिबर्टी का कायम रहना असंभव हो वहां इंडिविजुअल को क्रान्ति करने का, रिबेलियन करने अधिकार रहना चाहिये। इस बात को भी हेराल्ड लास्की ने माना है। एंटी-सोशल एलिमेंट्स को दबाने के लिये जिससे डिजार्डर नहीं फैले स्टेट को अधिकार होना चाहिये और ऐसा अधिकार हमें दूसरे-दूसरे कानूनों के द्वारा प्राप्त है। ऐसे कानून काफी हैं जो आर्डर और लिबर्टी के बीच के सामंजस्य को कायम रख सकें। आज तो इस राज्य में इंडिविजुअल लिबर्टी को करटेल करने की आवश्यकता नहीं बल्कि उसको बढ़ाने की आवश्यकता है और स्टेट के पावर को घटाने की आवश्यकता है जिससे एक सुन्दर सामंजस्य दोनों के बीच हो......

अध्यक्ष—लिबर्टी को तो आपने कंस्टिच्युशन में डिफाइन कर दिया है।

श्री रमाकांत झा—हां, वह तो किया गया है लेकिन कंस्टिच्युशन को अमेंड करके मेन्टीनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर ऐक्ट माना गया। आपको याद होगा कि मद्रास में जब यह ऐक्ट पास हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको चैलेंज कर दिया और तब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करके मेन्टीनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऐक्ट बने। अध्यक्ष महोदय, शुरू में जो फंडामेंटल राइट दिया उसको करटेल करके मेन्टीनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर बनाने की क्या आवश्यकता थी? संविधान को अमेंड करने की इतनी क्या जरूरत थी? उस संविधान को जो एक पवित्र वस्तु मानी जाती है और ऐसा होना भी चाहिये। जब उस संविधान को हमने बनाया तो उसको एक पवित्र वस्तु मानकर उसे कार्यरूप में

परिणत करना चाहिये था लेकिन इस पब्लिक ऑर्डर ऐक्ट के लिये उस संविधान को अमेंड किया गया। इसलिये आप देखेंगे कि जिस रूप में फंडामेंटल राइट दिया गया उसके करेक्टर में परिवर्त्तन हुआ। बहुत से विद्वानों का ऐसा मत है और जयप्रकाश जी ने तो यह भी कहा है कि पार्टिसिपेटिंग डिमोक्रेसी होना चाहिये और डिमोक्रेसी चलाने में मेन्टीनेन्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऐक्ट और प्रिवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। इस दुनियां में ऐसे देश हैं जहां इस तरह के कानून नहीं हैं और डिमोक्रेसी बहुत बढ़िया रूप से चल रही है। इंगलैंड में प्रिवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट नहीं है या मेन्टेनेंस आफ पब्लिक आर्डर ऐक्ट नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि बिहार में......

श्री शकूर अहमद--वहां भी कास्ट रायट होता है ?

श्री रमाकान्त झा--अगर कास्ट रायट है तो उसके लिये क्रिमिनल प्रोसिडियोर कोड और पेनल कोड मौजूद हैं। आप उनमें दिये हुए पावर्स का उपयोग करके ऐंटी-सोशल एलिमेंट्स को दबा सकते हैं और सोसाइटी को अच्छा बना सकते हैं। जिस तरह दूसरे डिमोक्रेटिक स्टेटों में जनतांत्रिक व्यवस्था चल रही है वहां पर यदि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है तो हिन्दुस्तान में या बिहार में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ेगी ? १९४७ में आजादी मिली और १४-१५ साल के बाद हमारी सोसाइटी एक डिमोक्रेटिक सोसाइटी हो गयी है, स्टेट का जो संक्रमण काल था वह खतम हो रहा है, हमारे यहां अब यह नया ऑर्डर स्टेब्लिस्ड हो गया है। मैं यह मानता हूं कि पोलिटिकल साइंस के विद्वान अधिकांश यह मानते हैं कि आज मेन्टीनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऐक्ट या प्रिवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे डिमोक्रेटिक स्टेट में ऐसा कंवेन्शन बने जिनके आधार पर हमारा डिमोक्रेटिक स्टेट उत्तरोत्तर सुन्दरतम अवस्था प्राप्त करे। मैं समझता हूं कि यदि मेंटनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर से हम काम करेंगे और ऐसे पावर का इस्तेमाल करेंगे तो डिमोक्रेसी का उल्टा होगा। जनतांत्रिक पद्धति को उल्टा कर देना होगा। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यदि सरकार चाहती है कि बिहार में जनतंत्र उत्तरोत्तर आगे बढ़े तो इस ऐक्ट को विथड्रा कर ले। आज हमें आनन्द तब होता जबकि एक रिपीलिंग बिल गवर्नमेंट लाती जिसके द्वारा यह बिहार मेन्टीनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर बिल रिपील कर दिया जाता और तब हम समझते कि सरकार एलेक्शन के दरमयान भी विरोधी दल और दूसरे लोगों को समुचित अवसर देना चाहती है, बराबर का राइट देना चाहती है। मैं जानता हूं और मुझको अनुभव है कि इस ऐक्ट का दुरुपयोग हुआ है और उस ओर माननीय कपिलदेव बाबू ने भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि दो वर्षों की अवधि को एक वर्ष कर दिया जाय और एक वर्ष के बाद आवश्यकता हो तो फिर बढ़ाने के लिये इस बिल को पेश किया जाय अगर हम डिमोक्रेटिक सोसाइटी चाहते हैं तो आज ही १९ दिसम्बर को इस बिल को खतम कर देना चाहिये जिससे विरोधी दल के लोगों को और जनता और सरकार को भी संतोष हो।

*श्री मोती राम--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो बिल सदन में तजवीज के लिये पेश है और जिसके संबंध में माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर भी की है उसके मुतल्लिक चन्द बातों की ओर सरकार का ध्यान मैं आपके जरिये आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यह सरकार डिमोक्रेटिक पद्धति पर अपना काम करे और डिमोक्रेटिक

पद्धति में यह बात निश्चित है कि हर काम को सरकार नेगोसिएशन और डिसकशन के द्वारा करती है। देश में जो साधारण कानून, पेनेल कोड और क्रिमिनल प्रोसिडयोर कोड के रूप में मौजूद हैं उनके रहते हुए मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस सरकार के दिमाग में कौन-सा ऐसा खौफ पैदा हो गया है जिससे इस नये कानून की बात वह सोच रहे हैं।

जो खौफनाक खतरा इनके दिमाग में फैला हुआ है उसी के कारण विशेषाधिकार के लिये बार-बार सदन में आते हैं। स्वर्गीय श्री बाबू भी वही काम करते थे जो आज श्री झा जी करना चाहते हैं। मैं यह पूछता हूं कि इस हाउस के लीडर होते हुए ऐसा क्यों महसूस करते हैं? अगर आम जनता या पब्लिक ओपीनियन से इस बात का सैन्कशन होता कि सचमुच कोई खौफनाक खतरा जिसका कि खौफ सरकार को है, मौजूद है और इस तरह का कानून बनाना चाहिये तो वह एक अलग बात होती। जब हम डिटेल में जाते हैं तो यह देखते हैं कि कौम्युनल एलिमेंट कांग्रेस पार्टी के दिमाग की उपज है। सरकार कहती है कि सोशल सिक्युरिटी नहीं रहेगा। एन्टी-सोशल एलीमेंट को रोकना है।

श्री राम जनम ओझा--हुजूर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। माननीय सदस्य कहते हैं कि जितने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उन्हीं में ऐन्टी-सोशल एलीमेंट हैं।

अध्यक्ष--नहीं। वह कहते हैं कि ऐन्टी-सोशल एलिमेंट कांग्रेस पार्टी के दिमाग की उपज है।

श्री मोती राम--उनके दिमाग में हमारे प्रति प्रेजुडिस है। वह समझते हैं कि ऐसा खतरा आने वाला है। लेकिन आम जनता ऐसा नहीं महसूस करती है। जनतांत्रिक राज्य में जहां "Freedom of speech and freedom of expression" के लिये आम जनता को पूरा अधिकार है वहां इस तरह का कानून बनाकर क्या सरकार जनतंत्र के खिलाफ काम नहीं करती है? प्रजातंत्र की पद्धति में इस प्रकार का विश्वास नहीं है। आगे चलकर तानाशाही या रूस की जो पद्धति है उसे यह सरकार भी अपनायेगी जिसमें यहां की जनता को एक टूल बनाकर रख सके।

अध्यक्ष--शान्ति, शान्ति। यह बिल अगर कन्स्टीच्युशन के अनुसार नहीं है तो हमको यह अधिकार है कि इसको रोक दें।

श्री मोती राम--अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जब इस कानून का प्रयोग किया तो हजारीबाग में भी इसका प्रयोग हुआ और वहां के एक डिस्टिंग्वीश परसनलिटी को इन्होंने जेल में रख दिया। और कल अगर हमारी बारी आयी तो हम भी वही करेंगे जो यह कर रहे हैं।

श्री जवार हुसेन--ऐसा करने का वक्त आपको आयेगा ही नहीं।

अध्यक्ष---जिस वात को आप खराव समझते हैं, आप कैसे करेंगे ?

श्री मोती राम---आपका कहना ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। [***]

जनता इस बिल से खतरा समझती है। मेरा ख्याल है कि ऐसे कानून की यहां आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से सरकार २६ जनवरी के दिन याने स्वतन्त्रता-दिवस को खुशी मनाती है उसी तरह से ४ जनवरी को भी खुशी मनायी जाती अगर सरकार ऐसी घोषणा करती कि इस बिल की जरूरत अब नहीं है। मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हूं।

श्री मणिराम सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री श्री जवार हुसैन ने जो बिहार मेन्टीनेन्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर (अमेंडमट) विल, १९६१ पेश किया है और उसके मकसद को बताया है, सचमुच में उस परिस्थिति में अभी बिहार राज्य नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस परिस्थिति में हमारा बिहार राज्य अभी गुजर रहा है उस परिस्थिति के लिए इनक पास सी० आर० पी० सी० और आई० पी० सी० कानून ही काफी है लॉ ऐन्ड ऑर्डर को मेनटेन करने के लिए। जिन विशेष अधिकार की उन्होंने मांग की हैं वह विशेषाधिकार उनको नहीं मिलना चाहिए। हमलोगों का १२ वर्षों का यह तजर्बा है कि इस ऐक्ट के जरिए ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक बदला लेने के लिए ही इसको लागू किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है अपने इलाके में १९५४-५५ में जब सही माने में किसान आन्दोलन चल रहा था जमीन के बेदखली के विरुद्ध और वह भी शान्तिपूर्ण ढंग से चल रहा था उस समय भी इस आन्दोलन को दबाने के लिए इस ऐक्ट का इस्तेमाल किया गया। हमारे साथी श्री प्रभुनारायण राय को इस ऐक्ट के अनुसार कई बार गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, इसके अलावे भी इस कानून के अन्दर कम-से-कम ५०० व्यक्तियों पर केस चलाया गया १९५३-५४ में। मैं समझता हूं कि इस ऐक्ट का इस्तेमाल ज्यादे साम्प्रदायिक-विरोधी तत्वों के साथ नहीं होता है बल्कि इसका इस्तेमाल ज्यादातर राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए ही किया जाता है। इसलिए मेरा सरकार से यह अपील है कि वह इस बिल को वापस ले लें। जहां तक लॉ ऐन्ड ऑर्डर को मेन्टेन करने का सवाल है, उसके ऊपर मैं दो शब्द कह देना चाहता हूं। आपने जनतंत्र व्यवस्था के अन्दर देहातों में ग्राम पंचायत की स्थापना की है। तो ग्राम पंचायत के साथ पुलिस का क्या संबंध रहना चाहिए, इसपर विचार करना है। मैं जानता हूं कि अधिकांश जगहों में पुलिस अधिकारियों के साथ मतभेद ही रहा है। ग्राम पंचायत के मुखिया, सरपंच या मेम्बर्स या ग्राम सेवक पर बराबर ही नाजायज केस कर दिया जाता है। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि श्री प्रभुनारायण राय के क्षेत्र में हरपुर एक गांव है। वहां पर एक ग्राम पंचायत है जिसके सरपंच हैं श्री विशुनदेव कुमार सिंह। तो उनके ऊपर भी केस कर दिया गया और वे बेचारे तीन साल से परेशान हैं। मेरा कहना है कि लॉ ऐन्ड आर्डर को मेन्टेन करने के लिए सबसे पहले पुलिस के चरित्र को ठीक करना होगा। यह चीज अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है पर इसमें कोई परिवर्त्तन नहीं हो रहा है। मैं नहीं कहता हूं कि सभी आफिशियल्स ईमानदार नहीं हैं और भ्रष्ट

[***] यह अंश सभा नियमावली के नियम ४६ के अनुसार कार्यवाही से हटा दिया गया है।

है। लौ ऐन्ड ऑर्डर को मेन्टेन करने के लिये पुलिस अधिकारी अपने कर्त्तव्य को नहीं निभाते हैं, मेरा कहना यह है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नौगछिया में तीन थाने हैं। वहां के जो डी० एस० पी० साहब हैं उन्होंने समाज-विरोधी तत्वों का अड्डा बना दिया है जिससे पुलिस की प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचती है। नारायणपुर कॉलेज में और नौगछिया में दिनदहाड़े मारपीट होती है पर कुछ ऐक्शन नहीं लिया जाता है।

अध्यक्ष---आपके कहने के मुताबिक तो सरकार का केस मजबूत ही होता है।

श्री मणिराम सिंह---मेरा कहना है कि इनके पास जो आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० है वही बलवान है और उसी का इस्तेमाल ये अच्छी तरह से कर सकते हैं और इसकी जरूरत नहीं है।

मेरा कहना है धुरवजा बाजार में ५॥ बजे दिन में ही माधो भगत बनिया का बक्स उठाकर ले गया पिस्तौल दिखलाकर जबकि वहां ४० गज की दूरी पर ही पुलिस की फांरी है। वहां के डी० एस० पी० जो हैं वे एन्टी-सोशल एलीमेंट को प्रश्रय देते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर मंसूर अली नामक एक दर्जी है, उनको एक बीघा जमीन भी नहीं है पर एक भूतपूर्व मंत्री की मदद से उनको बन्दूक मिल गया और वह बन्दूक आज डकैती के काम में इस्तेमाल किया जाता है। मैं चाहता हूं कि इसकी इनक्वायरी की जाय।

अब मैं पार्टी की बात पर आता हूं।

अध्यक्ष---इस बिल के ऑबजेक्ट्स ऐन्ड रिजन्स में पार्टी की बात नहीं है, इसलिए इसको कहने की जरूरत नहीं है।

श्री मणिराम सिंह---मेरा कहना है और मैं चैलेन्ज करके कहता हूं कि हमलोग ने ५ साल के अंदर जो काम किया और आपके लोगों ने हल्ला मचाया, इसकी जांच एक इम्पार्शियल बोर्ड के जरिए होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बिल को वापस ले लें क्योंकि इस बिल में जो दिया हुआ मकसद है वह पूरा नहीं होता है भले ही इसकी भीतरी मंशा जो हो। अभी हाल ही में रिलीफ को लेकर नवादा सब-डिवीजन के रजौली थाने में बाढ़-पीड़ितों का एक प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन में हमको और हमारे पांच साथियों को फंसाया गया।

जहांतक हमारे बिहपुर की बात है मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां एक महंथ हैं जो एन्टी-सोशल एलिमेंट्स को प्रश्रय देते हैं और आपके पुलिस अफसर उनकी मदद करते हैं लेकिन हमारे साथी श्री प्रभु राय जी पर केस है। यह बात सही है कि दफा दूसरी है लेकिन मेरा कहना है कि एन्टी-सोशल एलिमेंट्स को अगर आप सही मानी में पकड़ें तभी ला ऐन्ड ऑर्डर कायम रह सकता है। हम सरकार से प्रार्थना करेंगे कि वह इस बिल को वापस कर लें यही बुद्धिमानी की बात होगी। देश की जो हालत है उसमें यह कानून लागू होने की चीज नहीं है।

श्री जवाहर हुसेन---अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गौर से विरोधी दल के सदस्यों की तकरीरें सुन रहा था। जितनी तकरीरें हुई और जितने भाषण हुए उनमें ज्यादातर

प्रजातंत्र और डिमोक्रेसी की दोहाई दी गई है। डिमोक्रेसी की दोहाई देनेवालों में सिर्फ पी० एस०पी० के सदस्य ही नहीं शरीक हैं बल्कि ऐसे लोग भी हैं हुजूर, जिनकी अगर हुकूमत हो जाये तो वे लोगों को कैद ही में नहीं रखेंगे बल्कि उनके विचारों को भी, वह भी कानूनी रूप में नहीं बेकानूनी तरीके से, कैद में रखेंगे और वह जुर्म नहीं होगा। डिमोक्रेसी की दोहाई देनेवाले वे लोग भी हैं जो जनता से इतना बिगड़ गये हैं कि उनके नाम को भी जो जनता से ताल्लुक था उससे वे स्वतंत्र हो चुके हैं। (हंसी) हमें यह अर्ज करना है कि हम जो यह कानून लाये हैं यह डिमोक्रेसी के हित में लाये हैं, प्रजातंत्र की हिफाजत के लिये लाये हैं। डिमोक्रेसी का कंसेप्ट स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है कि प्लैटो के वक्त से जो डिमोक्रेटिक कंसेप्ट चला आया है वह आज भी बरकरार रहे और इसमें किसी तरह का परिवर्त्तन नहीं हो। मेरा ख्याल है और हमारे प्रधान मंत्री ने भी बतलाया है कि डिमोक्रेटिक कंसेप्ट स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है बल्कि डायनेमिक कंसेप्ट है। जबतक इन दोनों कंसेप्टों में बैलेन्स नहीं होगा तबतक डिमोक्रेसी सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकती। जब हम यह महसूस करते हैं कि कुछ ऐसी शक्तियां आगे बढ़ रही हैं जो इस बैलेन्स को बरकरार रखने में डिमोक्रेसी के खिलाफ कारंवाई कर सकती हैं तो हमें ऐसे कानून की जरूरत पड़ती है और हम समझते हैं कि हर शख्स जो डिमोक्रेसी की दोहाई दे रहा है उसका यह फर्ज हो जाता है कि वह हमें ऐसे मौके पर सपोर्ट करे।

हुजूर, गवर्नमेंट की नीयत पर भी हमला किया गया है। जितनी तकरीरें हुई हैं उनमें श्री कामदेव प्रसाद सिंह ने अपनी तकरीर में यह महसूस किया है कि दो वर्षों के अन्दर यानी जब से पिछला अमेंडमेंट हुआ है कम्युनल फिजा बिल्कुल खत्म नहीं हुई है और कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें प्रोत्साहन मिलेगा तो ये मौब वायलेन्स तक बात ले जा सकती है। इनकी शिकायत वैसी ही है जैसी हमारे रामदेव बाबू की है। हमारे रामदेव बाबू की शिकायत ऐक्ट के मुतल्लिक नहीं है बल्कि इनकी शिकायत यह है कि जिनके जरिये इस कानून को लोगों पर जारी कराया जायेगा उनपर उन्हें विश्वास नहीं है। वे समझते हैं कि जान बूझकर उनकी पार्टी के खिलाफ इस कानून को इस्तेमाल किया जायेगा। तकरीर में उनके जोश बहुत थे इसमें शक नहीं लेकिन मैं यह बतला देना चाहता हूं कि जाफरी साहब या श्री राम राज भगत की जो गिरफ्तारी हुई वह बी० एम० पी० ऐक्ट के मुताबिक नहीं हुई बल्कि वे दफा १५१ सी० आर० पी० सी० में गिरफ्तार हुये और उनपर १०७ का मुकदमा चलाया गया था।

श्री रामदेव सिंह--चार्ज क्या था?

श्री जवार हुसेन---चार्जेज जो भी हों। उनसे ब्रीच ऑफ पीस का खतरा अफसरों को था और यह महसूस किया गया कि उनके बाहर रहने से खतरा होगा इसलिये उन्हें गिरफ्तार करके रखा गया और फिर बाद में छोड़ दिया गया। कपिलदेव बाबू ने अपने तकरीर में बयान किया कि उस वक्त के मुख्य मंत्री ने उस वक्त बताया था कि कम्युनिस्ट पार्टी की हिंसात्मक कारंवाइयों को दबाने के लिए और कम्युनल सिचुएशन को दबाने के लिए इसकी जरूरत है तो इसको तो सबों ने माना कि अभी भी राज्य में ऐन्टी-सोशल एलिमेंट हैं और हमलोग भी इसे मानते हैं......

श्री रामदेव सिंह---आप तो ऐन्टी-सोशल एलिमेंट को पैदा करते हैं।

श्री जवार हुसेन--आपने बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी नीति बदल दी है लेकिन सभों ने माना कि ऐन्टी-सोशल एलिमेंट अभी भी है तो जिस वक्त इस कानून को बनाया गया था उस वक्त भी यह था और आज भी है। यह फिजा है तो आगे यह फेजा न रहे, लोग डर जायं इसलिए इसका रहना जरूरी है। यह कहना कि ये फेजा अभी भी हैं लेकिन तौभी इसे नहीं मानना चाहिए यह कहना असंगत है। इसे मान लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि बिहार मेन्टीनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष--खंड २।

Shri SHAKOOR AHMAD : Sir, I beg to move :

That in clause 2 of the Bill, for the word "fourteen" occurring in line 4, the word "thirteen" be substituted.

एक साल का टाइम मैं इसलिए देना चाहता हूं कि जेनरल एलेक्शन के बाद जो सरकार बनेगी वह इसकी जरूरत समझेगी तो आगे टाइम बढ़ायेगी और नहीं जरूरत समझेगी तो छोड देगी।

Shri KAMDEO PRASAD SINGH : Sir, I beg to move :

That in clause 2 of the Bill, for the word "fourteen" occurring in line 4, the words "twelve years and two months" be substituted.

SPEAKER : The question is :

That in clause 2 of the Bill, for the word "fourteen" occurring in line 4, the words "twelve years and two months" be substituted.

The motion was negatived.

SPEAKER : The question is :

That in clause 2 of the Bill, for the word "fourteen" occurring in line 4, the word, "thirteen" be substituted.

The motion was adopted.

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि :

खंड २ सभा द्वारा यथा संशोधित इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ यथा संशोधित विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि :

खंड १ इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

नाम इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम विधेयक का अंग बना ।

श्री जवार हुसेन—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

बिहार मेन्टीनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ इस सभा द्वारा यथा संशोधित स्वीकृत हो ।

*Shri **BRAJESHWAR PRASAD SINHA** : Mr. Speaker, Sir, this Act sharply bites the individual and social freedom and the life of the individual remains at the mercy of the Government. In democracy the Government should act according to the will of the people. Government should not force things on the people. According to the provisions of this Act 20 days' notice is served on the individual to take advice from his lawyer. But the Government acts in its own way. One does not know why he is arrested, what is his fault. The industrial labourers shout for higher wages and this Act is enforced on them. The labourers toil hard to uplift the nation. But they are suppressed by this Act. So I say that this Act is bad and better late than never, the Government should take it back.

It is a sort of political weapon for suppressing peaceful organisations which are formed and organised by the opposition parties which are essential for the upliftment of the nation. Therefore, I appeal to the Minister to kindly take back this black Act.

*श्री नन्द किशोर सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का घोर विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मंत्री महोदय ने बतलाया है कि इस ऐक्ट की जरूरत है और इसलिये जरूरत है कि कम्युनल रायट के समय और हिंसात्मक कार्रवाई करने वाले पर इस्तेमाल किया जायगा लेकिन आपको ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलेगा जो इन्होंने कम्युनल रायट फैलाने वालों पर इस्तेमाल किया हो । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक दो उदाहरण रखना चाहता हूं । इस ऐक्ट को ये खासकर ऐसे लोगों पर लागू करते हैं, जो इनके पार्टी के विरोधी हैं । अगर विरोधी दल के लोग अच्छे काम के लिये भी कुछ मांग करेंगे तो हमारे ऊपर यह सरकार इस ऐक्ट को लागू कर देगी । अध्यक्ष महोदय, अब आपके सामने मैं उदाहरण पेश करता हूं । एक

बार हजारीबाग जिले के चौपारण क्षेत्र में महाराजगंज हटिया में कम्युनल रायट हुआ। मैं यहां से जा रहा था तो मुझे पता चला कि लोग इसलिये भागते आ रहे हैं कि महाराजगंज हटिया में हिन्दु-मुसलमान के बीच रायट हो गया है। मैंने अपना फर्ज समझा कि मुझे सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाना चाहिये। मैं पुलिस स्टेशन गया और खबर दी कि मुझे मालूम हुआ है कि महराजगंज हटिया में कम्युनल झगड़ा शुरू हो गया है और हमने लोगों को भागते हुए देखा है। खैर पुलिस वहां गयी और स्थिति को कंट्रोल कर ली। इस ऐक्ट को वहां इनको लागू करना चाहिये था लेकिन नहीं किया, क्योंकि इनके पार्टी के लोगों ने ही वह रायट करवाया था।

दूसरा प्रमाण मैं यह देता हूं कि गत वर्ष चतरा में कम्युनल रायट हुआ जिसके चलते महावीरी झंडा और मोहर्रम का झंडा नहीं निकला। न हिन्दू का पर्व मनाया गया और न मुसलमान का। वहां भी इस ऐक्ट से सरकार ने काम नहीं लिया। वहां सरकार ने केवल दफा १०७ से ही काम लिया। अगर इन जगहों में इस ऐक्ट को लागू नहीं किया जाता है तो इस ऐक्ट की जरूरत ही क्या है।

मैं इस बात को अच्छा तरह से जानता हूं कि सरकार इस ऐक्ट को सिर्फ विरोधी दलों को कुचलने के लिये ही रखना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय, १९५८ में हजारीबाग में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। सरकार से इस बात की मांग की गयी कि हजारीबाग को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाय लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। किसानों को अपना प्रोसेशन निकालने के लिये भी इजाजत नहीं दी गयी और न कोई कारण ही बताया गया। लाचार होकर वहां की जनता ने प्रोसेशन निकाली और प्रोसेशन में कोई भी दुघटना नहीं हुई फिर भी इनके अफसर असेम्बली और पार्लियामेंट के सदस्यों पर मुकदमा चलाकर उन्हें जेल भेज दिया। हुकूमत की ओर से ही अफसरों को इशारा किया गया कि इनपर मुकदमा चलाकर इन्हें जेल भेज दें।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रान्त का दुर्भाग्य होगा कि अगर यह सरकार फिर आवे। अगर यह सरकार फिर आती है तो आप देखेंगे कि जहां-जहां इनकी हार होगी वहां-वहां इस कानून को लागू करेंगे चाहे वहां जो भी पार्टी हो—स्वतंत्र पार्टी हो या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो उन लोगों पर यह कानून लागू करेंगे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि इस बिल को वापस ले लें और इस सदन से निवेदन करूंगा कि इस बिल को अस्वीकृत कर दें।

अध्यक्ष---आपका समय समाप्त हो गया, अब आप बैठ जाइये।

श्री नन्दकिशोर सिंह---अच्छी बात है। मैं समाप्त करता हूं।

*श्री रामजनम ओझा---अध्यक्ष महोदय, अभी जिस बिल पर बात चल रही है, उसके सम्बन्ध में कई सदस्यों की ऐसी राय हुई है कि वर्तमान कानून जो है उसके अन्तर्गत सरकार को काफी ताकत परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये है, इसलिये यह कानून बिल्कुल ही अनावश्यक है। जो कुछ कानून अभी हैं जैसे सी० आर० पी० सी० और आई० पी० सी०, यह दोनों कानून आपकी मदद हर जगह कर सकता है, जैसे कोई प्रोसेशन

कहीं निकलनेवाला है या कहीं ऐन्टी-सोशल एलिमेंट जमा हो रहा है और वहां झंझट है तो ऐसे-ऐसे मौके के लिये आपके पास कानून है जिससे वह रोका जा सकता है । आप १८८ दफा से, १५१ दफा से और १०७ दफा से काम ले सकते हैं ।

अध्यक्ष--तब तो यह कानून केवल विरोधी को तंग करने के लिये ही है ?

श्री रामजनम ओझा--विरोधी को तंग करने का दूसरा भी कानून है । वे ११७ दफा के अन्दर भी कर सकते हैं । ११७ दफा या १०७ दफा में जागते रहने की ज़रूरत है । कैसी भी परिस्थिति आवे उसे रिपोर्ट के आधार पर आर्डर करने की आवश्यकता पड़ेगी लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि जो परिस्थिति होगी उसका मुकाबला किस तरह से किया जाये । इसके सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि स्थाई रूप से कोई रास्ता निकल जाये । जो भी अधिकार आपको पहले दिये गये हैं वह काफी हैं ।

इसके लिये आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० काफी है । सवाल यह है कि लार्ज स्केल पर किसी पौलिटिकल पार्टी को हैरास करना चाहते हैं तो इस कानून को वहीं सिर्फ लागू करते हैं । जो कुछ सीवान में हुआ है तो मैं कहूंगा कि यदि वे सतर्क होते तो वहां कुछ नहीं होता एक एफिसियेन्ट सरकार जो भी कानून बनाती है उसको सही रूप में काम में लाती है लेकिन जो सरकार निकम्म है वह कानून को सही रूप में लागू नहीं करती है और मनमाने ढंग से काम करती है जिसमें जनता को तकलीफ होती है और परेशानी उठानी पड़ती है । इसलिये मैं समझता हूं कि अभी जो कानून पेश है उसकी एकदम आवश्यकता नहीं है । इसका प्रोवीजन आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० में मौजद है ।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा--अध्यक्ष महोदय, आज जो सरकार को कानून लाने की जरूरत पड़ी इसका कोई तसकीरा नहीं किया गया है । जब यह कानून १९५१ में बना था और जो परिस्थिति उस वक्त थी उन दोनों में से आज कौन मौजूद है नहीं कहा गया है । वे कहेंगे कि साम्प्रदायिक झगड़ा पैदा हो जाता है तो वे कहां कहां इसको लागू किये हैं । रांची में झगड़ा हुआ तो कानून को नहीं लागू किया गया । सिर्फ यह कहना कि यह कानून रहेगा तो लोग झगड़ा वगैरह नहीं करेंगे यह ठीक नहीं है । मैं यह कहूंगा कि यह जो कानून है और जिस पर माननीय सदस्यों ने अपना-अपना विचार प्रगट किया है उससे साफ जाहिर होता है कि ऐन्टी-सोशल एलिमेंट को और साम्प्रदायिक दंगा को नहीं दबाना चाहते हैं बल्कि पौलिटिकल पार्टी को दबाना चाहते हैं । १९५८ में जनता पार्टी पर मुकदमा चलाया गया और उस मुकदमे में सरकार की हार हुई और सरकार ने अपील फाइल कर दी है । उनका अपील पेन्डिग है । जनता पार्टी के लोग कहां कहां शांति भंग किये हैं और उनके जुलूस में कितने लोग मरे और पब्लिक ऑर्डर कहां-कहां भंग हुआ । आपने मुकदमा चलाया और आपकी हार हुई । मैं नहीं मानता हूं कि विरोधी दल के लोगों ने शांति भंग किया है। आप बहुमत में हैं और इसको पास कर लें । ऐन्टी-सोसल एलिमेंट को दबाने के लिये आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० काफी है । सरकार ने जिस संशोधन को मान लिया है उससे साफ जाहिर होता है कि इस बिल को लाने की एकदम जरूरत नहीं है ।

पिछले दो साल के अन्दर उन्होंने किसी भी ऐन्टी-सोशल एलिमेंट के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि पौलीटिकल पार्टीज के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया है। इस कानून की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह बात कही गयी है कि वही सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम गवर्न करे लेकिन यह कानून तो इंडीविजुअल फ्रीडम और लिबर्टी को बेहद करटेल करता है और सरकार के हाथ में बहुत खतरनाक पावर वेस्ट करता है। सरकार ने एक साल का अमेंडमेंट मान लिया है और मैं तो कहूंगा कि जब यह सरकार सिर्फ तीन चार महीने के लिये है तो इस कानून को खतम होने दें, आनेवाली सरकार जरूरत के मुताबिक दूसरा कानून पास कर लेगी।

श्री जवार हुसेन--अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त मैं विचार का प्रस्ताव सभा के सामने रखा रहा था शायद उस वक्त माननीय सदस्य मौजूद नहीं थे। यदि मौजूद रहते तो वे इस तरह की बात नहीं कहते। मैं बहुत स्पष्ट रूप से सभा को यह बताना चाहता हूं कि इस कानून को किसी भी पोलीटिकल पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया है और न आइन्दे ऐसा करने का इरादा है।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा--हमारा एक प्वायन्ट ऑफ ऑर्डर है। १९५८ में जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ सिर्फ जुलूस निकालने के कारण हमलोगों के ऊपर यह कानून लागू किया गया था और हम भी उसमें शरीक थे। माननीय मंत्री का कहना बिलकुल गलत है।

श्री रामदेव सिंह--हर जगह यही कानून लागू करके विरोधी दल के लोगों को परेशान किया जाता है।

श्री जवार हुसेन--मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि कवल इसके क मैं अपने जुमला को पूरा करूं माननीय सदस्य प्वायन्ट ऑफ ऑर्डर रेज कर देंगे। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि किसी पोलीटिकल पार्टी पर 'एज पोलीटिकल पार्टी' इस कानून का न इस्तेमाल किया गया है और न किया जायेगा। हां, यदि कोई शख्स, चाहे वह किसी पार्टी का हो, ऐन्टी-सोशल ऐक्टीविटीज में शरीक होता है और अपराधी करार होता है तो उसके खिलाफ यह कानून जरूर इस्तेमाल किया जायेगा।

अध्यक्ष--तब हम यह समझ लें कि पोलिटिकल पार्टीज़ ऐज सच (as such) पर नहीं इस्तेमाल किया जायेगा लेकिन यदि किसी पौलिटिकल पार्टी का कोई इंडीविजुअल मेम्बर ऐन्टी-सोशल काम करेगा तो इस कानून के अन्दर जायेगा।

श्री जवार हुसेन--जी हां, किसी पार्टी की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग भी जब उन्होंने आई० एन० टी० यू० सी० की तरफ से अनलाइसेंस्ड प्रोसेशन निकाले थे तो उनके खिलाफ इस कानून को इस्तेमाल किया गया था।

श्री कपिलदेव सिंह--आपके ग्रूप के नहीं होंगे।

श्री जवार हुसेन--यह तो दूसरी बात है। माननीय सदस्य कहते हैं कि जब आई० पी० सी० और सी० आर० पी० सी० में प्रोविजन है तो सरकार इस कानून को

क्यों रखना चाहती है। इस कानून के सेक्शन २ में जिन बातों का प्रोविजन है वह किसी और कानून में नहीं है, जैसे एक्सटर्नमेंट, इनटर्नमेंट, रेस्ट्रीक्शन ऑन मूवमेंट, रेस्ट्रीक्शन ऑन पजेशन ऑफ स्पेशिफायड आर्टिकिल्स, ये सारी चीजें और दूसरे कानून में नहीं हैं। हमने एक वर्ष के अमेंडमेंट को मान लिया है और इसके बाद जो दूसरी सरकार आयेगी वह जैसा उचित समझेगी करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सभा इसको मंजूर करेगी।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि :

बिहार मेंटीनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल, १९६१ सभा द्वारा यथा-संशोधित, स्वीकृत हो।

(तब सभा निम्न प्रकार विभक्त हुई।)

'हां'

श्री नरसिंह बैठा।
श्री शुभ नारायण प्रसाद।
श्री जय नारायण प्रसाद।
श्री राधा पाण्डे।
श्रीमती शकुन्तला देवी।
श्री मसुदूर रहमान।
श्री विभीषण कुमार।
श्री भुवनारायण मणी त्रिपाठी।
श्री जनार्दन सिंह।
श्री जबार हुसेन।
श्री राम बसावन राम।
श्री गिरीश तिवारी।
श्री कृष्ण कान्त सिंह।
श्री कमरुल हक।
श्री मंजूर अहसन अजाजी।
श्री शिवनन्दन राम।
श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही।
श्री नवल किशोर सिंह।
श्री चन्दू राम।
श्री कपिलदेव नारायण सिंह।
श्री जनक सिंह।
श्री कुलदीप नारायण यादव।
श्री राम नन्दन राय।
श्री शकूर अहमद।
श्रीमती रामदुलारी शास्त्री।
श्री महेश कान्त शर्मा।
श्रीमती शांति देवी।
श्रीमती श्यामा कुमारी।
श्री वैद्यनाथ मेहता।
श्री उपेन्द्र नारायण सिंह।
श्री योगेश्वर हजरा।
श्री यदुनन्दन झा।
श्री रामनारायण मंडल।
श्री जियाउर रहमान।
श्रीमती शांति देवी।
श्री भोला पासवान शास्त्री।
श्री ब्रज बिहारी सिंह।
श्रीमती पार्वती देवी।
श्री जीतू किस्कू।
श्री मंजू लाल दास।
श्री भोला नाथ दास।
श्री शीतल प्रसाद भगत।
श्री चन्द्रशेखर सिंह।
श्री भागवत मुर्मु।
श्रीमती लीला देवी।
श्रीमती लक्ष्मी देवी।
श्री घनश्याम सिंह।

श्री केदार नारायण सिंह आजाद ।
श्री सदा मिश्री ।
श्री हरिहर महतो ।
श्री बलदेव प्रसाद ।
श्री नवल किशोर सिंह ।
श्री जगत नारायण लाल ।
श्रीमती मनोरमा देवी ।
श्री झमन प्रसाद ।
श्री रंगबहादुर प्रसाद ।
श्री नगीना दुसाध ।
श्री शिवपूजन राय ।
श्री बुद्धन मेहता ।
श्री कामेश्वर शर्मा ।
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा ।
श्री रामेश्वर मांझी ।
श्री देवधारी राम ।
श्री प्रियव्रत नारायण सिंह ।
श्री श्रीधर नारायण ।
श्री सैयद मोहम्मद लतीफुर रहमान ।
श्री चेतू राम ।
श्रीमती मनोरमा सिंह ।
श्री रामलाल चमार ।
श्री राजकिशोर सिंह ।

'ना'

श्री रामदेव सिंह ।
श्री देवीलाल जी ।
श्री देवेन्द्र झा ।
श्री कामदेव प्रसाद सिंह ।
श्री बेन्जामिन हंसदा ।
श्री कपिलदेव सिंह ।
श्री प्रियव्रत नारायण सिंह ।
श्री व्रजेश्वर प्रसाद सिंह ।
श्री रामेश्वर प्रसाद महथा ।
श्री नन्द किशोर सिंह ।
श्री शालिग्राम सिंह ।
श्री मोती राम ।
श्री राममेश्वर मांझी ।
श्री जुलियस मुन्डा ।

पक्ष में—७० ।
विपक्ष में —१४ ।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभा बुधवार, तिथि २० दिसम्बर, १९६१ के ११ बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की गई ।

पटना:
तिथि १९ दिसम्बर, १९६१ ।

इनायतुर रहमान,
सचिव, बिहार विधान-सभा ।